

प्रारूप – 8 (अ-1) (संशोधित)
अनुसूची-3 (11) (ii)
ग्रामीण सेवा बाण्ड शपथ पत्र

फोटो

(मध्यप्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालय में स्टाट कोटा अथवा ऑल इण्डिया कोटे से स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशित अभ्यर्थी के लिये)
(रु. 5,000/- or 2,500/- के नान जूडिशियल स्टाम्प पर निष्पादित कर नोटरी द्वारा सत्यापित किया जावे)

1. मैं (छात्र/छात्रा का नाम)
- पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री
- निवासी –

- इस शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रम में शैक्षणिक सत्र **2026-27** में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी हूँ।
2. मैंने मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम 2018 तथा संशोधन दिनांक 19.06.2019, 05.10.2021, 26.07.2022, 10.05.2023, 02.07.2024 एवं 03.09.2025 को भली भांति पढ़कर समझ लिया है।
3. मैं एतद्वारा यह बंध पत्र निम्न शर्तों पर निष्पादित करती/करता हूँ कि :-
- अ – मैं चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम (MBBS Course) पूर्ण करने के उपरांत शासन द्वारा निर्दिष्ट स्थानों पर विहित अवधि तक अनिवार्य रूप से चिकित्सा सेवा प्रदान करूंगी/करूंगा ।
- ब – विहित अवधि जो कि शासकीय स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर एक वर्ष शासन द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर सेवाएं न देने की स्थिति में मैं शासन को रु0 10 लाख (अनारक्षित वर्ग हेत) रु0 5 लाख (आरक्षित वर्ग हेतु) भुगतान करने का वचन देती/देता हूँ।
- स – अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी द्वारा छात्रवृत्ति योजना का लाभ लेने की स्थिति में विहित अवधि जो कि शासकीय स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर शासन द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर 2 वर्ष की सेवा देने अथवा रु0 10 लाख भुगतान करने का वचन देता/देती हूँ।
- द – विहित अवधि जो कि मुख्यमंत्री जनकल्याण योजना का लाभ शासकीय स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर शासन द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर 2 वर्ष की सेवा देने अथवा रु0 10 लाख भुगतान करने का वचन देता/देती हूँ।
- य – शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति लेने वाले अभ्यर्थियों पर निर्दिष्ट स्थान पर 01 वर्ष की अनिवार्य ग्रामीण सेवा बाण्ड लागू रहेगा। अनिवार्य ग्रामीण सेवा पूर्ण न करने की स्थिति में अभ्यर्थी को बाण्ड राशि रु0 10 लाख जमा करने होंगे।
- र – यह कि ग्रामीण सेवा न करने / बाण्ड राशि जमा न करने की स्थिति में मेरे द्वारा महाविद्यालय में जमा कराये गये मूल दस्तावेज जिसमें प्रवेश के समय जमा कराये गये दस्तावेज तथा MBBS First Professional, Second Professional, Third Professional Part-I तथा Third Professional Part-II की अंकसूची भी सम्मिलित है वापस नहीं किये जायेंगे।

हस्ताक्षर आवेदक

गवाह (हस्ताक्षर ,नाम, पता, मोबाइल नम्बर)

- 1.
- 2.